मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6—7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :—उमा मित्तल आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या :— 66 / 2025

हरविन्द्र सिंह पुत्र भोला सिंह जाति जटसिख साकिन खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा, हनुमानगढ़

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

प्रतिवादी

—:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए घोषणा बाबत ::—

डिक्री

दिनांक :— 17/09/2025

वादी की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटीर अधिवक्ता, व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि – **तहसील पीलीबंगा के 34 एमओडी के खाता सं. 41 / 30 में अंकित वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम देव सिंह के स्थान पर हरविन्द्र सिंह दर्ज करने का आदेश पारित किया जाता है शेष खाता यथावत रहेगा।**

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को **आदेशित** किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग खाता कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन आदि यथावत् ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.06 16:36:42 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 17/09/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा